274
11/9/12

खण्ड - 8

सत्यमेव जयते

संख्या - 7

नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

अष्टम् सत्र

(भाग-1, कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सोमवार, तिथि : 18 जनवरी, 1988 ई०

कि देवघर जिलान्तर्गत घोंरामार से कल्होड़िया पथ संकीर्ण तथा क्षतिग्रस्त है, यदि हाँ तो, सरकार उक्त पथ का चौड़ीकरण एवं मरम्मेती कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग : (1) उत्तर स्वीकारात्मक है। प्रश्नाधीन पथ ग्रा०अ०सं० द्वारा स्वीकृत नहीं है। पथ की कुल लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है, जिसके निर्माण पर लगभग 80 लाख रुपये व्यय होंगे। अर्थाभाव एवं न्यू०आ० कार्यक्रम के शर्त्तों को नहीं पूरा करने के कारण सड़क की स्वीकृति तत्काल संभव नहीं है।

प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई

ब-4. श्री अयोध्या प्रसाद सिंह : क्या मंत्री, धार्मिक न्यास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बछवाड़ा प्रखंड के नारेपुर महंथ श्री बलदेव दास के द्वारा धार्मिक न्यास बोर्ड से बिना आदेश प्राप्त किये ही जमीन का हस्तांतरण कर दिया गया है.

(2) क्या यह बात सही है कि समाहर्त्ता बेगूसराय जाँचोपरान्त अध्यक्ष, न्यास बोर्ड को पत्रांक 1014, दिनांक 26 मई 1987 के द्वारा कार्रवाई करने हेतु प्रतिवेदन दिये हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त प्रतिवेदन के आलोक में कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, धार्मिक न्यास विभाग : (1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) उत्तर खंड (2) के आलोक में न्यास की सुव्यवस्था हेतु अधिनियम की धारा 32 के तहत न्यास समिति गठित करने हेतु सात हिन्दू सज्जनों के नाम कलक्टर, बेगूसराय से मांगे जा रहे हैं। नाम प्राप्त होने के पश्चात् आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

पुल का निर्माण

सामु-300. श्री अयोध्या प्रसाद सिंह : क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत भगवानपुर से बुरामनचक पथ में भगवानपुर स्थल की बलान नदी में पुल निर्माण की योजना स्वीकृत है, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है;

(2) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार जनहित में उक्त पुल का निर्माण योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देकर पुल निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग : (1) उत्तर अस्वीकारात्मक है।

(2) निकट भविष्य में निधि की उपलब्धता को देखते हुए इसे स्वीकृति देना संभव नहीं है।